



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2548/79-वि-1-07-1(क)62-2007

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
11 सन् 1966 की  
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(ज-1) “परिसंघीय संरचना” का तात्पर्य ऐसी शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्रारम्भिक सहकारी समितियों के समूह से है जो समान प्रकृति का हो और समान व्यवसाय या कार्य करता हो;

(ज-2) “परिसंघीय श्रेणी” का तात्पर्य किसी विशिष्ट परिसंघीय संरचना की त्रिस्तरीय में से किसी एक श्रेणी अर्थात् शीर्ष या केन्द्रीय या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से है।”

(ख) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड-1) ‘राष्ट्रीय बैंक’ का तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।”

(ग) खण्ड (थ-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(थ-2) “रिजर्व बैंक” का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक से है।”

धारा 12 का  
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में,

(क) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(2) अधिनियम या नियमावली के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है तो वह ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर संशोधन निबन्धित करेगा। यदि निबन्धक एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित नहीं करता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसमें संशोधन को निबन्धित करने से मना कर दिया है और ऐसी दशा में निबन्धक के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह संशोधन निबन्धित न करने के कारणों से अगले एक माह के अन्दर समिति को संसूचित करे।”

(ख) खण्ड (3) को निकाल दिया जायेगा।

धारा 20 का  
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 20 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (कक) में उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(iii) उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिये नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिये अपने जमा खाते में कम से कम एक हजार रुपये जमा धनराशि को अनुरक्षित न किया हो।”

धारा 29 का  
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“(8) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी रिजर्व बैंक द्वारा यथानियत लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबंधन, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की कमेटी में पूर्ण मतदान के अधिकारों सहित कम से कम तीन वृत्तिक व्यक्ति होंगे। यदि ऐसे वृत्तिक व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते तो ऊपर उल्लिखित के अनुसार उन्हें बैंक की प्रबन्ध कमेटी में सहयोजित किया जायेगा।”

नयी धारा 29-क  
का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“29-क प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं शीर्ष बैंक के लिये विशेष उपबन्ध-इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा किसी शीर्ष बैंक की प्रबन्ध कमेटी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम के

अधीन उसके कार्यकलापों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक और समीचीन हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) निम्नलिखित के लिये शक्तियाँ :-

(एक) सदस्य बनाने और अंशों से सम्बन्धित आवेदनों का निस्तारण करने के लिये।

(दो) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करने एवं उन उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिये।

(तीन) वार्षिक एवं अनुपूरक बजट तैयार करने एवं उनका सामान्य निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये।

(चार) उपविधियों के अनुसार निधियों की वृद्धि करना एवं उनका विनिधान करने के लिये।

(पांच) निर्धारित स्तर से अधिक समस्त व्ययों और आगामी वर्ष/वर्षों के लिये पूँजी विकास योजना को मंजूर करने के लिये।

(छः) समिति की किसी ऋण या मांग को प्रवर्तित करने और समिति के पक्ष या विपक्ष में विधिक कार्यवाही को संस्थित करने, प्रतिवाद करने या समझौता करने के लिये।

(सात) ऐसे परिवर्तनों, जो अपेक्षित संशोधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये किये गये हों, के संदर्भ में विद्यमान जनशक्ति संसाधनों और भावी अपेक्षाओं का अनुमान करने और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर कम से कम एक बार जनशक्ति योजना की प्रक्रिया या उसकी प्रगति में कठिनाइयों पर विचार करने एवं उनका निराकरण करने के लिये।

(आठ) इस अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन समिति का कार्य संचालन करने हेतु अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं अन्य बातों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों, सेवा शर्तों, अवकाश सुविधाओं एवं अनुशासनिक मामलों को परिभाषित करने के लिये।

(नौ) सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों और प्रगति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में कम से कम एक बार करने के लिये।

(दस) ऋण के आवेदनों का निस्तारण करने, रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों के अधीन रहते हुये ब्याज दर निर्धारित करने एवं ऐसे ऋणों के लिये प्रतिभूति अवधारित करने के लिये।

(ग्यारह) ऐसी उप कमेटियों, जिन्हे आवश्यक समझा जाय, की नियुक्ति करने के लिये।

(बारह) उसके कार्य संचालन का सामयिक मूल्यांकन करने के लिये।

(तेरह) विहित रीति से सम्पत्तियों का अर्जन करने, धारित करने एवं निस्तारित करने के लिये।

(चौदह) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा किसी अन्य पुनर्वित्त पोषित करने वाले अभिकरण से सीधे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणी से जिससे कि वह सम्बद्ध हो पुनर्वित्त पोषित करने के लिये और उसी प्रकार से किसी विनियमित वित्तीय संस्था में न कि आवश्यक रूप से केवल उस परिसंघीय श्रेणी में जिससे वह सम्बद्ध हो, उसके निक्षेपों को रखने या विनिधान करने के लिये।

(पन्द्रह) किसी परसंघीय संरचना की संबद्धता और असम्बद्धता से सम्बन्धित मुद्दों जिसमें किसी भी स्तर पर प्रवेश और निकास सम्मिलित है, का विनिश्चय करने के लिये।

(सोलह) व्यवसाय की अपेक्षा के अनुसार अपने कार्य संचालन क्षेत्र का विनिश्चय करने के लिये।

(सत्रह) ऐसे अन्य उपाय करने या ऐसे अन्य कार्य करने के लिये जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के अधीन विहित किये जायं या अपेक्षित हों, और—

(ख) निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(एक) इस अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के अधीन समस्त मामलों में संप्रेक्षण करने;

(दो) निम्नलिखित कार्य करने—

(क) समिति के धन की समुचित रसीद व वितरण और समिति के लेखों, आस्तियों एवं दायित्वों का रख-रखाव;

(ख) समिति की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना;

(ग) निबन्धक द्वारा विहित सभी वार्षिक विवरणी को तैयार करना;

(घ) लेखा परीक्षा के लिये अपेक्षित लेखा के विवरण तैयार करना और उसे लेखा परीक्षकों के समक्ष रखा जाना;

(ङ) अन्य सभी विवरण एवं विवरणियों को तैयार करना और उन्हें निबन्धक को प्रस्तुत करना;

(च) नियमित रूप से समिति के लेखों का समुचित लेखा पुस्तिकाओं में अनुरक्षण;

(छ) सदस्यों की पंजी का अद्यावधिक अनुरक्षण;

(तीन) इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन वितरण योग्य घोषित शुद्ध लाभों के विनियोग हेतु राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार संस्तुति करने और उसे सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने;

(चार) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण, जांच और लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करने और सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और जांच रिपोर्ट पर विचार करने और इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार तत्सम्बन्ध में अनुपालन प्रस्तुत करने;

(पांच) सामान्य निकाय की बैठकें और विशेष बैठकें समय से आयोजित करने;

(छः) यह देखने कि ऋण और अग्रिम उन प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं जिनके लिये वे तात्पर्यित हैं और यह भी कि उनका प्रतिसंदाय नियमित रूप से किया जा रहा है;

(सात) ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिसंदाय में समस्त बकायों और व्यतिक्रमों के मामलों में परीक्षण करने एवं तुरन्त कार्यवाही करने;

(आठ) समिति के सभी मामलों में सदस्यों से सम्पर्क बनाये रखने एवं सहकारी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने;

(नौ) समय से निर्वाचन कराने की व्यवस्था करने, और—

(दस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो उसे सामान्य निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जायं या इस अधिनियम, नियमावली और उपविधियों द्वारा या तदधीन अपेक्षित हों;

(ग)—

(एक) प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य कमेटी में बने रहने के लिये अनर्ह हो जायगा यदि वह किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक के बोर्ड में किसी गैर-ऋण समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और ऐसी समिति ने 90 दिन से अधिक की अवधि तक व्यतिक्रम किया हो।

(दो) ऐसा व्यक्ति जो व्यतिक्रमी सदस्य हो या किसी व्यतिक्रमी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति का पदाधिकारी हो यथास्थिति समिति अथवा बैंक के बोर्ड के लिये निर्वाचित किये जाने हेतु अर्ह नहीं होगा अथवा एक वर्ष से अधिक समय के लिये बोर्ड में नहीं बना रह सकेगा जब तक कि व्यतिक्रम समाप्त न हो जाए।

(घ) प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से निबन्धक द्वारा यथाविहित वित्तीय मानदण्डों के सम्बन्ध में समस्त निर्देशों का पालन करेगी।

7-मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :- धारा-34 का संशोधन

“अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी में, राज्य सरकार एक से अनधिक ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगी जो सरकारी सेवक होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति में राज्य सरकार का कोई नामनिर्देशिती नहीं होगा।”

8-मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मामले में प्रबन्ध कमेटी का निलम्बन या अवक्रमण निबन्धक द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि रिजर्व बैंक से परामर्श न कर लिया गया हो:

“प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की प्रबन्ध कमेटी को निबन्धक द्वारा निम्नलिखित आधारों पर ही अवक्रमित किया जा सकता है :-

(एक) यदि कोई समिति लगातार तीन वर्षों से हानि उपगत करती हो, या

(दो) यदि गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें या कपट किया गया हो

(तीन) यदि इस आशय के कोई न्यायिक निर्देश हों अथवा निरन्तर गणपूर्ति का अभाव हो।”

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(3) जहाँ निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण किया हो, वह उसके स्थान पर निम्नवत् नियुक्ति कर सकता है :-

(क) एक नयी कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासक कमेटी जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य पाना आवश्यक नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया जाय तो अवक्रमण के दिनांक से तीन माह के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन कराने के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा।

(ग) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“(8) अवक्रमित प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अवक्रमण के दिनांक से अगले तीन वर्ष के लिये निर्वाचन में पुनः भाग लेने के लिये अर्ह न होंगे।”

9-मूल अधिनियम की धारा 38 में उपधारा (1) में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- धारा 38 का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के ऐसे निदेशक या सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त हटा दिया जायेगा जो रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं।”

धारा 44 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 44 में उपधारा (2) में खण्ड (ख) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी बैंक या प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति के मामलों में राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से अधिक का अंशदान ऐसी समिति की अंशपूजी में नहीं करेगी और जहां राज्य सरकार की अंशपूजी पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, वहां राज्य सरकार इसे पच्चीस प्रतिशत अथवा कम कर देगी और शेष अंशपूजी समिति को अनुदान में परिवर्तित कर देगी।

धारा 58 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1-क) में खण्ड (ख) में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-

"प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, केन्द्रीय बैंक एवं शीर्ष बैंक के सम्बन्ध में इस खण्ड के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"

धारा 59 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 59 में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

"प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी ऋण समिति के मामलों में प्रबन्ध कमेटी अपने अधिशेष एवं अन्य निधियों को समिति के हित में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्थान में विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

धारा 60 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 60 में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये अपने साधारण सदस्यों से ही निक्षेप स्वीकार करेगी तथा ऐसे सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में निक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।"

धारा 64 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 64 में-

(क) उपधारा (1) में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी बैंक की लेखापरीक्षा, निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन से अनुमोदित पैनल में से प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा की जायेगी। निबन्धक चार्टर्ड एकाउण्टेंट की फीस भी निर्धारित करेगा जिसका भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:-

"जहां रिजर्व बैंक किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध करे तो इसे कराया जाएगा एवं विशेष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को उसके द्वारा ऐसे अनुरोध में निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।"

नयी धारा 90-ग का बढ़ाया जाना

15-मूल अधिनियम की धारा 90-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,

"90-ग धारा 90-ख के प्रावधान सभी बैंकों, चाहे वह बीमाकृत हों अथवा नहीं, पर लागू होंगे और यदि रिजर्व बैंक द्वारा इसकी प्रबन्ध कमेटी के अधिक्रमण या इसके परिसमापन या समापन के लिए और समापक की नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाय तो निबन्धक एक माह के भीतर इसे निष्पादित करेगा।"

नयी धारा 106-क का बढ़ाया जाना

16-मूल अधिनियम की धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"106-क बैंक से भिन्न अन्य सहकारी समिति द्वारा कतिपय शब्दों का प्रयोग करने का प्रतिषेध-

किसी सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति अपने नाम में "बैंक" "बैंकर" एवं "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग नहीं करेगी

## उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी जमा संस्थाओं के पुनःप्रवर्तन पर प्रो० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। ऐसे कार्यबल की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2005 में प्रस्तुत की थी जिसमें उसने 31 मार्च, 2004 तक उपगत सहकारी समितियों की जमा क्षतियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए संस्तुति की थी। इस प्रयोजन के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौता ज्ञापन के प्रस्तर 9 में, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में कतिपय संशोधनों का प्राविधान है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
सै० मजहर अब्बास आब्दी,  
प्रमुख सचिव।

No. 2548/79-V-1-07-1-(Ka) 62-2007

*Dated Lucknow, December 10, 2007*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 47 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007.

### THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES

(THIRD AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 47 OF 2007]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 2007.

Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 hereinafter referred to as principal Act,

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 11 of 1966

(a) after clause (j) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(j-1) 'Federal Structure' means a group of apex, central and primary co-operative societies of similar nature and pursuing similar business and work;

(j-2) 'Federal tier' means any one of the three levels of societies of a particular federal structure i.e. apex or central or primary."

(b) after clause(n) the following clause shall be inserted, namely:-

"(n-1) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1961"

(c) after clause(q-1) the following clause shall be inserted, namely:-

(q-2) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Amendment of  
section 12

3. In section 12 of the principal Act, in sub - section (2), -

(a) for clause (ii) the following clause shall be substituted, (b) namely:-

"(ii) is not contrary to the other provisions of the Act or the rules, he shall register the amendment within one month from the date of receipt of such proposal. If the Registrar does not register the amendment within one month then it will be deemed that he has refused to register the amendment and in this case it will be obligatory for the Registrar to intimate the society within next one month, the reasons for not registering the amendment."

(b) clause (3) shall be omitted.

Amendment of  
section 20

4. In section 20 of the principal Act, in the proviso, in clause (aa) after sub-clause(ii) the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iii) he has not maintained deposit of at least rupees one thousand in his deposit account for a period of two years preceding the date fixed for publication of the provisional voters' list."

Amendment of  
section 29

5. in section 29 of the principal Act after sub-section(7) the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, there shall be at least three professionals with full voting rights on the committee of Uttar Pradesh Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy as stipulated by the Reserve Bank of India. In case such professionals do not get elected, they shall be co-opted by the Committee of Management of the Bank as aforesaid."

Insertion of new  
section 29-A

6. After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

29-A Special provision for Primary Agricultural Co-operative Credit Societies, Central Co-operative Banks and Apex Bank Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, rules and Bye-laws of the society, the Committee of Management of a Primary Agricultural Co-operative Credit Society or a Central Co-operative Bank or an apex bank shall exercise such powers and perform such duties as may be necessary and expedient for the purpose of carrying out its functions under this Act which shall include, -

(a) the power to, -

- (i) admit members and dispose of applications for shares;
- (ii) interpret the organizational objectives and set specific goals to be achieved towards those objectives;
- (iii) prepare annual and supplementary budgets and get the approval of the General Body thereto;
- (iv) raise and invest funds in accordance with the bye-laws;
- (v) sanction all expenditure above the prescribed level, and the plan of capital development for the coming year or years;
- (vi) enforce any debt or demand of the society and institute, defend or compromise legal proceeding for or against the society;
- (vii) assess the existing man power resources and future requirements in the context of changes that might have taken to ensure availability of the required resources and consider and remove constraints in the process or progress of manpower planning at least once at the beginning of every year;
- (viii) appoint officers or other staff to conduct the business of the society and define *inter alia* their duties, service conditions, leave concessions and disciplinary matters subject to the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;



- (ix) arrange for the education and training of members and employee and review the programmes and progress, relating thereto, at least once at the beginning of every year;
  - (x) dispose of applications for loans; fix rate of interest subject to the directions of the Reserve Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development and determine securities to be taken for such loans;
  - (xi) appoint Sub-Committees, as may be considered necessary;
  - (xii) make periodical appraisal of its operation;
  - (xiii) acquire, hold and dispose off the properties in the prescribed manner;
  - (xiv) take loans from any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and refinance from National Bank for Agriculture and Rural Development or any other refinancing agency directly or through any financial institution regulated by the Reserve Bank of India and not necessarily from only the federal tier to which it is affiliated, and similarly, placing its deposits with, or making investments in, any regulated financial institution and not necessarily with only the federal tier to which it is affiliated;
  - (xv) decide issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure including entry and exit at any level;
  - (xvi) decide its area of operation according to the business requirement;
  - (xvii) take such other measures or do such other act as may be prescribed or required under this Act, the rules and the Bye-laws; and
- (b) the duty of-
- (i) observing, in all affairs under the provisions of this Act, the rules and the bye-laws;
  - (ii) causing—
    - (A) proper receipt and disbursement of moneys of the society and maintenance of the account, assets and liabilities of the society;
    - (B) preparation of Annual Report of the society for every year;
    - (C) preparation of Annual Returns prescribed by the Registrar;
    - (D) preparation of the statement of account required at audit and placement of the same before the auditors;
    - (E) preparation of all other statement and returns and submission of the same to the Registrar;
    - (F) maintenance of accounts of the society regularly in proper books;
    - (G) maintenance of the register of members up-to-date;
  - (iii) *formulating* recommendation in accordance with the guidelines of National Bank, if any, for appropriation of the net profits declared as distributable under the provisions of this Act and the rules and submitting the same to General Body;
  - (iv) facilitating the inspections, inquiries and audits under this Act and considering the Audit, inspection and Inquiry Reports received from the concerned authority and furnishing compliance thereto in accordance with the provisions of this Act and the rules;
  - (v) convening the meetings and special meetings of the General Body in time;

- (vi) watching that the loans and advances are utilized for the purposes for which they are meant and also that they are repaid punctually;
- (vii) examining and taking prompt action in cases of all arrears and defaults in repayment of loans and advances;
- (viii) liaisoning with the members in all matters of the society and ensuring the observance of the co-operative principles;
- (ix) making arrangements for holding elections in time; and
- (x) performing such other functions as may be entrusted to it by the General Body or required by or under this Act, the rule and the bye-laws.

(3) (i) A member of the Committee of Management shall be disqualified for continuing in the Committee if he is representing a non-credit society on the board of a Central Co-operative Bank or apex bank and the society has committed a default for a period exceeding 90 days.

(ii) A person who is a defaulting member or office-bearer of a defaulting Primary Agricultural Co-operative Credit Society shall not be eligible to be elected to the board of the society or the bank as the case may be, or continue on the Board for more than one year unless the default is cleared,

(4) "A Primary Agricultural Co-operative Credit Society shall abide by all such directions regarding financial norms as may be prescribed by the Registrar in consultation with the National Bank."

Amendment of section 34

7. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1) after the existing proviso, the following provisoes shall be inserted, namely:-

"Provided further that in the case of a Central Co-operative Bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank the State Government shall nominate not more than one person who shall be a government servant in the committee of management thereof.

Provided also that on the Committee of Management of a Primary Agricultural Co-operative Credit Society, there shall be no nominee of the State Government."

Amendment of section 35

8. In section 35 of the principal Act,

(a) In sub-section (1) after the existing proviso, the following provisoes shall be inserted, namely:-

"Provided further that in the case of a Central Co-operative Bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank, the suspension or supersession of the Committee of Management shall not be made by the Registrar unless the Reserve Bank of India has been consulted.

"Provided also that the Committee of Management of a Primary Agricultural Co-operative Credit Society can be superseded by the Registrar only on the following grounds-

(i) if a society incurs losses for three consecutive years,

or

(ii) if serious financial irregularities or fraud have been committed,

(iii) if there are judicial directives to this effect or there is perpetual lack of quorum."

(b) For sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Where the Registrar has superseded the Committee of Management under sub-section (1), he may appoint in its place-

(a) a new committee consisting of one or more members of the society, or

(b) an administrator or Committee of administrators who need not necessarily be members of the society:

Provided that if the Committee of Management is superseded under sub-section (1), the Committee of Management shall be reconstituted within three months from the date of supersession after holding the election in accordance with the provisions of this Act."

(c) after sub-section (7), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(8) The members of the superseded Committee of Management shall not be entitled to contest the election again for a period of three years from the date of supersession."

9. in section 38 of the principal Act, in sub-section (1) the following proviso shall be inserted, at the end namely:-  
 Amendment of section 38  
 "Provided that on the request of the Reserve Bank of India the competent authority shall remove a *director* or the secretary / chief executive officer of a Central Co-operative Bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank, who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank of India after giving him an opportunity of being heard."
10. In section 44 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (b) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
 Amendment of section 44  
 "Provided that in case of a Co-operative Bank or a Primary Agriculture Credit Co-operative Society the State Government shall not subscribe more than twenty five percent in the share capital of such society and where the share capital of the State Government is more than twenty five percent, it shall bring down the same to twenty five percent or less and shall convert the rest of its share capital in grant to the society."
11. In section 58 of the principal Act, in sub-section(1-A),in clause (b) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
 Amendment of section 58  
 "Provided that the provisions of this clause shall not apply to a Primary Agriculture Credit Co-operative Society, a Central Co-operative Bank or the Apex Bank."
12. In section 59 of the principal Act, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
 Amendment of section 59  
 "Provided that in the case of a Co-operative Credit Society, the committee of management shall be competent to invest its surplus and other funds in any financial institution regulated by Reserve Bank in the interest of the society."
13. In section 60 of the principal Act, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
 Amendment of section 60  
 "Provided that a Primary Agriculture Credit Co-operative Society shall receive deposits only from its ordinary members admitted under section-17 of this Act and no other person shall be allowed to make deposit in a Primary Agriculture Credit Co-operative Society."
- 14 . In section 64 of the principal Act,-  
 Amendment of section 64  
 (a) in sub-section (1) the following proviso shall be inserted at the end, namely:-  
 "Provided that the audit of a Co-operative Bank shall be conducted by the Chartered Accountants appointed by the Committee of Management of the concerned bank from the panel approved by the Registrar for this purpose. The Registrar shall also determine the fees of such Chartered Accountants which shall be paid by the concerned bank."  
 (b). after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-  
 "(5) Where the Reserve Bank requests for the special audit of a co-operative bank it shall be conducted and the report of such special audit shall be submitted to the Reserve Bank within the time stipulated in such request."
15. After section 90-B of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-  
 Insertion of new section 90-C  
 "90-C The provisions of section 90-B shall be applicable to all the banks whether Insured or not and if advised by the Reserve Bank for the supersession of its Committee of Management or its winding up or liquidation and appointment of liquidator the Registrar shall execute it within one month."
16. After section 106 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-  
 Insertion of new section 106-A  
 "106-A Prohibition of use of certain words by a society other than a bank- No Co-operative Society other than a Co-operative Bank and the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank shall use the word "Bank", "Banker" and "Banking" in its name."

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A task force on revival of rural co-operative institutions has been set up in August, 2004 by the Government of India under the Chairmanship of Prof. A Vaidyanathan. The Committee of such task force submitted its report in February, 2005 wherein it had recommended to compensate the losses of the Co-operative Credit Societies incurred up to March 31, 2004. For this purpose Memorandum of Understanding was signed between the Government of India, National Bank for Agriculture and Rural Development and the State Government on December 18, 2006. Para 9 of this Memorandum of Understanding provides for certain amendments in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,  
S.M.A. ABIDI,  
*Pramukh Sachiv.*